



UPRB010035072026

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी-श्री अनिल कुमार पंचम, (उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP6045
प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-1463/2026

1-अरविन्द प्रजापति उम्र 21 वर्ष पुत्र सालिकराम निवासी ग्राम बौहररिया मजरे सरायमानिक थाना डीह जिला रायबरेली।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1-राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या-73/2026

अंधारा-109(2), 3(4) बी.एन.एस.

व 9/25/27 आर्म्स एक्ट

थाना-डीह, जनपद-रायबरेली

दिनांक-30.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अरविन्द प्रजापति की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या-73/2026 अन्तर्गत धारा-109(2), 3(4) भारतीय न्याय संहिता व 9/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना-डीह, जनपद-रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षिप्त: इस प्रकार है कि, "दिनांक 04-05.5.26 को जल जीवन मिशन के इकोटोन प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम के लूट करने वाले गिरोह के सदस्य घटना में प्रयुक्त वाहन फोर्ड फीगो नं० UP33S7253 हरा रंग में लूटे गये माल को लेकर बेचने के लिए कस्बा डीह होते हुए फुर्सतगंज जनपद अमेठी की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर, उक्त वाहन का कस्बा डीह की तरफ से पीछा/चेंकिंग करना बताया गया। चालक द्वारा हड़बड़ाहट में अचानक सड़क की बांयी पटरी पर रोककर गाड़ी मोड़ने की कोशिश करने लगा कि आगे गड्ढा होने के कारण अचानक गाड़ी बन्द हो गयी तो गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति ने हम पुलिस वालों को देखकर एक राय होकर ललकारा कि ये पुलिस वाले हैं गोली मार दो इस पर ड्राइविंग सीट व उसकी बगल वाली सीट से दोनों व्यक्तियों द्वारा गेट खोलकर अलग अलग दिशा में भागते हुए ड्राइवर चालक की बगल सीट पर बैठा व्यक्ति मेरी टीम पर और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने पीछे से आयी पुलिस टीम पर निशाना लगाकर जान से मारने की नियत से फायर किया जो संयोगवश हम पुलिस वालों के बगल से निकल गयी जिससे हम पुलिस वाले बाल बाल बच गये आत्मरक्षार्थ में मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा करीब 20 कदम की दूरी से अपनी सरकारी पिस्टल से ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को जो पुनः कारतूस तमंचे में लोड कर रहा था कि आत्मरक्षार्थ रोकने की नियत से कमर के नीचे फायर किया जो उसके दाहिने पैर में लगी जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने दूसरी टीम के उ० नि० शिवम जायसवाल आदि पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया था घेरावंदी की बजह से वह भी तमंचा तानकर निशाना लगाकर मेरी तरफ झाड़ियों का आड़ लेकर आगे बढ़ा कि मेरे द्वारा अपनी व साथी पुलिस बल की सुरक्षार्थ उसके कमर के नीचे की तरफ फायर किया जो उसके बायें पैर में लगी कि हम सभी पुलिस वाले सिखलाये गये तरीके से उनके गिरने पर पुनः फायर न करने का

मौका देते हुए उन्हे घेर कर पकड़ लिया गया। हिकमत अमली से पूछताछ की गयी तो सभी ने बताया कि हमने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर कस्बा डीह में स्थित जलजीवन मिशन के गोदाम के पीतल की टोटी चोरी करने की योजना बनाई थी। मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी मे 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी मे 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी मे 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी मे 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी।"

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संक्षिप्त: इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभि० पूर्णतया निर्दोष है। पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभि० को फोन करके थाना हाजा पूछताछ करने के लिए बुलाया गया उसे थाना हाजा में बैठाये रखा जो कि थाना हाजा की सी०सी०टी० फुटेज मे कैद भी होगा। प्रार्थी/अभि० ने कथित दिनांक व समय पर किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं किया है कथित घटना से प्रार्थी/अभि० का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभि० को रात्रि मे थाना से ले जाकर फर्जी मुठभेड दिखाकर गिरफ्तार किया गया है। सम्पूर्ण अभियोजन कहानी मनगढ़ंत एवं फर्जी है। कथित घटना के कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कथित बरामदगी पूर्णतया असत्य एवं निराधार है कथित बरामदगी से प्रार्थी/अभि० का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। कथित मामला नो इंजरी केश का है अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार की कोई भी चोट मर्म स्थल पर नहीं है। प्रथम दृष्टया अभियोजन प्रपत्रो के अवलोकन से प्रार्थी/अभि० पर उपरोक्त प्रकृति का अपराध नहीं सृजित होता है। प्रार्थी/अभि० को महज पार्टीबंदी एवं राजनैतिक षडयंत्र के तहत फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी/अभि० की गिरफ्तारी की फर्द मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि फर्द की एक कापी प्रार्थी/अभि० को उपलब्ध करायी है जब कि प्रार्थी/अभि० स्वय पुलिस कस्टडी मे था हवालात मे बंद करते समय प्रार्थी/अभि० की जामा तलाशी मे प्रार्थी/अभि० के पास से फर्द बरामदगी की कापी न मिलना भी सम्पूर्ण अभियोजन का झूठा एवं निराधार साबित करता है। प्रार्थी/अभि० का पूर्व का कोई भी अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभि० टी०वी० का मरीज है दवा इलाज पर्चे फोटो प्रति जमानत प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न है एवं प्रार्थी/अभि० की माता अक्सर बीमार रहती है प्रार्थी/अभि० के जेल जाने से प्रार्थी/अभि० के जेल जाने से प्रार्थी/अभि० की माता अत्याधिक गम्भीर रूप से बीमार हो गयी है। प्रार्थी/अभि० का जमानत प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वाद उपरोक्त मे प्रार्थी/अभि० दिनांक 6.05.26 से जिला कारागार रायबरेली में निरुद्ध है। प्रार्थी /अभि० उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी/अभि० के फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है एवं माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों और जमानत की प्रतिभूतियो को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य जनपद न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है न स्वीकृत किया गया है न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभि० अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है उसका वह दुरुपयोग नहीं करेगा एवं माननीय न्यायालय के आदेशो का अनुपालन करेगा एवं विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा एवं नियत तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः अपराध उपरोक्त में प्रार्थी/अभि० का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2026 को गोदाम में घुस कर चौकीदारों के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एवं चौकीदारों के फोन लूटने तथा गिरफ्तारी के समय ही मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियों को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी में 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी में 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी थी। अभियुक्त जमानत पर रिहा किया गया तो जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने व फरार होने तथा साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला सहायक लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

उल्लेखनीय है कि, प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2026 को गोदाम में घुस कर चौकीदारों के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एवं चौकीदारों के फोन लूटने का कथन किया गया तथा गिरफ्तारी के समय ही मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियों को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी में 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी में 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामदगी होने का उल्लेख किया गया।

केस डायरी संख्या -1 के पृष्ठ संख्या 32-33 पर वादी जितेन्द्र मोहन सरोज द्वारा अपने धारा 180 भा०ना०सु०सं० के बयान में कथन किया गया है कि, " चालक सीट पर एवं उसके बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने हम पुलिस वालों को देखकर ललकारा कि ये पुलिस वाले हैं गोली मार दो और दोनों द्वारा गेट खोलकर अलग अलग दिशा में भागते हुए ड्राइवर चालक की बगल सीट पर बैठा व्यक्ति मेरी टीम पर और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने पीछे से आयी पुलिस टीम पर निशाना लगाकर जान से मारने की नियत से फायर किया... आत्मरक्षार्थ में ... अपनी सरकारी पिस्टल से ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को जो पुनः कारतूस तमंचे में लोड कर रहा था कि आत्मरक्षार्थ रोकने की नियत से कमर के नीचे फायर किया जो उसके दाहिने पैर में लगी जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने दूसरी टीम के उ०नि० शिवम जायसवाल आदि पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया था घेराबंदी की बजह से वह भी तमंचा तानकर निशाना लगाकर मेरी तरफ झाड़ियों का आड़ लेकर आगे बढ़ा कि मेरे द्वारा अपनी व साथी पुलिस बल की सुरक्षार्थ उसके कमर के नीचे की तरफ फायर किया जो उसके बायें पैर में लगी.... उनका नाम पता पूछा गया तो अक्षत मिश्रा....मोहित आर्या....संतोष निर्मल... अभिषेक... अरविन्द प्रजापति... .. हम लोग डर गये थे जिस कारण मोहित और अक्षत ने आप लोगों पर फायर कर दिया। आज हम लोग अपने

हिस्से की टोटियों को उनकी पन्नी से अलग करके बोरियो में भरकर बेचने के लिए फुरसतगंज ले जा रहे थे तथा कुछ टोटियां हमारे साथी हमारे साथी प्रयागराज साहू के साथ ई-रिक्शा लोडर नं० UP33CT6810 से पांच बोरियो में लूटी गयी टोटी लेकर रायबरेली बेचने के लिए जा रहा है।

केस डायरी संख्या-1 के पृष्ठ संख्या 11 पर अवलोकन नकल फर्द में अंकन किया गया है कि, "..... मौके पर फोर्ट फी सूचना पूर्व से मामूरशुदा टीम उ० नि० मोहित कुमार शर्मा, उ० नि० शुभम शर्मा, का० शुभम कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी में 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी में 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी।"

वादी मुकदमा के बयान तथा केस डायरी में फर्द साक्षियों के बयान अं० धारा 180 भा०ना०सु०सं० से अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर, गोदाम में घुस कर चौकीदारों के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एवं चौकीदारों के फोन लूटने का कथन किया गया है, जिसमें तलाशी करने पर कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी थी। थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के समय पुलिस बल को देखकर अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर करने जैसा आपराधिक कृत्य किया गया। मौके पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में जिन विसंगतियों को दर्शित करने का प्रयास किया गया है, वे साक्ष्य के विश्लेषण से सम्बन्धित हैं। अभियुक्त द्वारा साक्षियों को डराये धमकाये जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अरविन्द प्रजापति** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या-73/2026 अन्तर्गत धारा-109(2), 3(4) भारतीय न्याय संहिता व 9/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना-डीह, जनपद-रायबरेली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

(Stenographer)
Maneesha Kumari